जीएसटी रिटर्न में उलझे कारोबारी

▸▸डेडलाइंस की लगी लाइन ▸▸3 दिन बैंक बंद रहने से भी दिक्कत

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर- व्यापारियों और बैंकों के लिए मार्च का महीना टेंशन भरा रहेगा. वित्त वर्ष का आखिरी महीना होने से इन्कम टैक्स और जीएसटी रिटर्न इसी माह दाखिल किए जाने हैं. आयकर कानून में नए बदलाव और जीएसटी के नए नियमों ने कारोबारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

उद्योग-व्यापार से जुड़े लोग फिलहाल इसी उधेड़बुन में हैं कि किस तरह रिटर्न की प्रक्रिया को पूरा किया जाए. बैंकों के लिए भी मार्च का महीना डेडलाइंस पूरा करने का होता है. इस वित्त वर्ष बैंक कर्मियों के ऊपर जीएसटी से जुड़े कामकाज निपटाने का अतिरिक्त बोझ भी है.

बैंक से जुड़े कामकाज निपटाने के लिए मार्च के अंतिम दिनों का इंतजार करना भारी पड़ सकता है. कारोबारियों के लिए एक चुनौती मार्च के अंत में लगातार 3 दिनों तक बैंकों की बंदी के रूप में

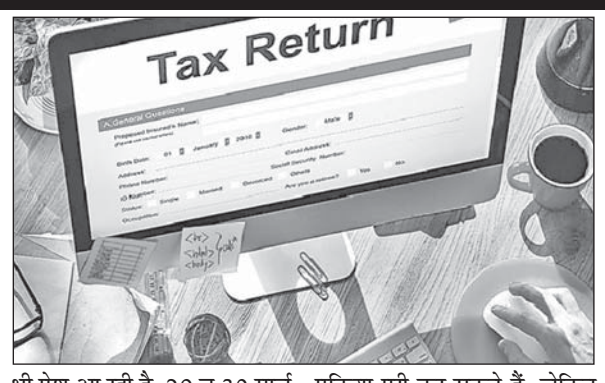

भी पेश आ रही है. 29 व 30 मार्च को बैंकों में न तो ड्राफ्ट बनेंगे और न चेक क्लियरेंस होगा.

29 मार्च को महावीर जयंती, 30 को गुड फ्राइडे. 31 मार्च को बैंक शुरू रहेंगे लेकिन 1 अप्रैल को रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे. हालांकि कहा जा रहा है कि बैंक अपने स्टाफ को इन छुट्टियों में भी बुलाकर 31 मार्च तक अपनी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन आम ग्राहकों को दिक्कतें तो आएंगी ही. महीने के अंत में कई तरह के कर अनुपालन, लोन रिपेमेंट और बीमा प्रीमियम के लिए भी बैंकों से तरह-तरह के सर्टिफिकेट और एनओसी लेने होते हैं, ऐसे सभी काम कारोबारियों को 28 मार्च से पहले ही निपटा लेने होंगे. कई बैंक अपने कस्टमर्स को इस बारे में पहले से अवगत भी करा रहे हैं. अगले 10 दिन ट्रेड इंडस्ट्री के लिए कारोबार और टैक्स कंप्लायंस से जुड़े कामों की डेडलाइंस से भरा है. इससे कई तरह के बैंकिंग और विभागीय काम जल्द निपटाने की होड़ मच गई है. पहले ही जीएसटी से जुड़ी कई फाइलिंग लंबित चल रही हैं, ऊपर से इन्कम टैक्स रिवीजन की डेडलाइन आ जाने से भी कारोबारियों में अफरा-तफरी मची है.

ई-वे बिल का भी डर

पहली अप्रैल से इंटरस्टेट कारोबार पर ई-वे बिल लागू हो रहा है. 50,000 रु. से अधिक के सभी कंसाइनमेंट पर ट्रेडर और ट्रांसपोर्टर दोनों को ई-वे बिल जनरेट करना होगा. एनवीसीसी अध्यक्ष हेमंत गांधी ने बताया कि 50,000 काफी छोटी रकम है. 50,000 में टैक्स भी शामिल है. मसलन 36,000-37,000 रु. का माल ही टैक्स के साथ बिल में 50,000 रु. का हो जाएगा. वहीं एक ट्रक में 20 पार्टियों का माल होता है, जिसकी कीमत लाखों में हो जाएगी. हमने इस बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम भी लिए, लेकिन छोटे कारोबारियों में अब भी डर बन हुआ है.

जीएसटी का भी टेंशन

▸▸कारोबारियों को फरवरी के जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-5ए की फाइलिंग 20 मार्च तक करना था. इसके अलावा जुलाई से फरवरी का जीएसटीआर-6 भी भरना था. सबसे अहम डेडलाइन 31 मार्च तक टीआरएन-2 भरने की है, जिसे न तो दोबारा भरा जा सकता है और न ही उसे रिवाइज करने की अब और मोहलत मिलेगी.

▸▸यह उन कारोबारियों को भरना है, जिनके पास जीएसटी लागू होने से पहले का स्टाक था और उस पर चुकाए टैक्स का बिल नहीं था. इसके अलावा जीएसटी लागू होने से पहले के गैर-पंजीकृत कारोबारियों को भी यह फार्म भरना है. पहले इसकी डेट 31 दिसंबर थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से सरकार ने एक और मौका दिया है.

▸▸सीए जुल्फेश शाह ने बताया कि 31 मार्च तक ही असेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 की इनकम टैक्स रिटर्न की लेट फाइलिंग हो सकती है. साथ ही रिटर्न रिवाइज करने के लिए भी अब कारोबारियों के पास 10 दिन का समय बचा है. पेशेवरों के अनुसार उनके यहां दोनों ही तरह के करों के रिटर्न के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से जबर्दस्त दबाव आ रहा है.

वासनकर पर ठोंका 1 करोड़ जुर्माना

सेबी ने जारी किए आदेश

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर - बाजार नियामकों का पालन करने में विफल होने और निवेशकों से अवैध रूप से राशि जुटाने पर सेबी ने वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट लि. और उसके 5 प्रमोटर्स व डायरेक्टर्स पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका है. इन प्रमोटर्स और डायरेक्टरों में प्रशांत जयदेव वासनकर, मिथिला विनय वासनकर, विनय जयदेव वासनकर, भाग्यश्री प्रशांत वासनकर और अभिजीत जयंत चौधरी का समावेश है. उल्लेखनीय है कि वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट ने सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों की रकम वसूल की थी लेकिन लौटाने में विफल रहे थे.

228 निवेशकों से लिये थे 13 करोड़

मई 2015 में सेबी ने वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट लि. और उसके प्रमोटर्स व डायरेक्टर्स को आदेश दिया था कि वे निवेशकों व अन्य लोगों से ली गई राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाएं. इसके डायरेक्टरों ने नान कन्वर्टेबल प्रिफेंस शेयर्स (एनसीपीएस) जारी कर वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2012-13 में 228 निवेशकों से 13 करोड़ रुपये जुटाए थे. ऐसा करते हुए डायरेक्टर्स व प्रमोटर्स ने पब्लिक इश्यू नियमों का पालन नहीं किया था.

सर्टिफिकेट भी निरस्त

▸▸सेबी ने अपने आदेश में वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट लि. को दिए गए इनवेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त करने को कहा है. साथ ही 18 मई 2015 से 14 साल की अवधि के लिए वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स को केपिटल मार्केट की किसी भी संस्था या व्यक्ति के पास कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया है.

सरकार दो सप्ताह में देगी जवाब

हाईकोर्ट में साईबाबा की याचिका पर सुनवाई

नागपुर- प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा उर्फ जी.एन. साईबाबा (48) ने सजा पर स्थगनादेश तथा जमानत हासिल करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में संशोधित अर्जी दायर की है. इस पर उत्तर देने के लिए राज्य सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा है. इस पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सरकार की गुजारिश मान्य करते हुए मामले की सुनवाई आगामी 3 अप्रैल को तय की.

7 मार्च 2017 को गढ़चिरोली सत्र न्यायालय ने साईबाबा और उसके सहयोगियों को आतंकी करतूत की साजिश, आतंकी संगठन के लिए कार्य आदि गंभीर मामलों में दोषी करार देकर उम्रकैद व अन्य सजाएं सुनाई हैं. इसके विरुद्ध साईबाबा समेत अन्य आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील की है. यह अपील अंतिम सुनवाई के लिए दायर हो गई है. साईबाबा 90 फीसदी दिव्यांग हैं. सत्र न्यायालय में सजा होने से पहले वह जमानत पर बाहर था. उसकी जमानत को लेकर काफी विवाद हुआ था. इस पर उसे चिकित्सकीय कारण के आधार पर जमानत दी गई थी.

इसमें साईबाबा का कहना था कि जमानत पर बाहर रहते हुए उसने नियमों का कड़ाई से पालन किया है, इसलिए उसने उच्च न्यायालय से अपील पर अंतिम फैसला होने तक सजा पर स्थगनादेश और जमानत मांगी है.

2 सस्पेंड, परिवहन समिति सभापति के औचक निरीक्षण में हुआ उजागर

बस टिकट के पैसे कंडक्टरों की जेब में

नागपुर - *बस में जांच करते परिवहन अधिकारी बंटी कुकड़े.*

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर - जब से शहर बस का संचालन मनपा परिवहन विभाग के अधीन आया है, तब से वह भारी घाटे में चल रहा है. इसी बीच स्मार्ट कार्ड घोटाला उजागर हुआ. मंगलवार को परिवहन समिति सभापति बंटी कुकड़े ने कई मार्गों की बसों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने पाया कि दो बसों में कंडक्टर ने टिकट के पैसे यात्रियों से तो लिए पर टिकट नहीं दिए. संबंधित मामले में कंडक्टर पंकज घोरपड़े और आशीष दांडेकर को तत्काल निलंबित कर दिया गया. परिवहन समिति सभापति कुकड़े को जानकारी मिली कि कंडक्टर यात्रियों से टिकट के पैसे ले लेते हैं, लेकिन उन्हें टिकट न देकर खुद की जेब में पैसे डाल लेते हैं. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कुकड़े प्रशासकीय अधिकारी रविंद्र पागे, निरीक्षक सुनील शुक्ला व अतुल आकरे के साथ शहर के 10 मार्गों की जांच करने निकले.

पारडी नाला के पास एमएच 31 सी 2-6-6181 क्रमांक की बस की जांच की. इस बस में 26 यात्री थे. लेकिन एक ही यात्री ने टिकट ले रखा था. उसी प्रकार एक मिडी बस की जांच की गई, उसमें 15 यात्रियों में से दो यात्रियों के पास ही टिकट मिला. दोनों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश कुकड़े ने दिए.

तरोड़ी से भांडेवाड़ी, रेलवे स्टेशन से पारडी, एचबी टाऊन से वर्धमान नगर, आयचित मंदिर, महाल से नरसिंह टॉकीज के बीच बसों की जांच की गई. यात्रियों की टिकट व सुविधाओं की जानकारी उन्होंने ली.

डिम्ट्स का काम असंतोषजनक

बस ऑपरेटरों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी आईबीटीएम ऑपरेटर डिम्ट्स पर है. लेकिन डिम्ट्स का काम संतोषजनक नहीं है. कंडक्टरों के खुद की जेब में टिकट के पैसे रखे जाने के मामले को लेकर 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच बसों के अंदर लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिपोर्ट मांगी गई है.

कैदी को एलएलबी परीक्षा के लिए मिली जमानत

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सेंट्रल जेल के कैदी आनंद अडतानी को एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के तीसरे व चौथे सेमिस्टर की परीक्षा के लिए डेढ़ माह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की है. न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ति जेड.ए. हक की विशेष न्यायपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. 21 अप्रैल 2013 को भाई के ससुर की हत्या करने से अडतानी को उम्रकैद की सजा हुई है. वह सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है. घटना के समय वह सीए का विद्यार्थी था. इस पाठ्यक्रम को भी जेल में रहकर पूरा किया. इसके बाद उसने एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया. तीसरे व चौथे सेमिस्टर की परीक्षा होने से उसने 20 मार्च से 3 मई तक अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. हाईकोर्ट ने अडतानी के पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए अर्जी मंजूर की. उसे 25 हजार का निजी मुचलका पेश करने के लिए कहा गया. पुलिस स्टेशन में नियमित हाजिरी लगाना होगा. मामले में अधिवक्ता मीर नगमान अली को न्यायालयीन मित्र नियुक्त किया गया था.

हाईकोर्ट का फैसला

नागपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

आकाश में काफी देर तक मंडराने के बावजूद समय से पहले पहुंची इंडिगो फ्लाइट

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर- तेज हवा के चलने रनवे पर टच डाउन जोन का सही अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण मंगलवार की शाम इंडिगो का विमान लैंडिंग करने के दौरान फिर से ऊपर उठ गया और आकाश में कुछ देर मंडराने के बाद उतरा.

लैंडिंग के दौरान टच डाउन प्वाइंट को ओवरशूट कर देने से कई बार विमान हादसों का शिकार हो जाते हैं. हालांकि फ्लाइट 6 ई 7102 के पायलट ने सतर्कता बरतते हुए बड़े हादसे को टाल दिया. मंगलवार की शाम इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6 ई 7102 हैदराबाद-नागपुर अपने लैंडिंग के निर्धारित समय 18:20 बजे से पहले करीब 5.30 बजे ही पहुंच गई थी. इंडिगो की इस फ्लाइट का विमान एटीआर 72 (क्राफ्ट टाइप) है. इसकी यात्रा क्षमता 72 है. डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उस समय तेज हवा के चलते पायलट को लैंडिंग पाइंट (टच डाउन जोन) का सही अंदाजा नहीं लग पाया और उसने ओवरशूट (रनवे के तय बिंदु से आगे निकल जाना) कर दिया. हालांकि पायलट को विमान के ओवरशूट होने का अंदाजा हवा में रहने के दौरान ही लग गया था, इसीलिए उसने विमान को फिर ऊपर उठा लिया. इसके चलते एयरपोर्ट के आसपास कुछ किलोमीटर तक के इलाकों में विमान के काफी नीचे होने और इसकी तेज आवाज के चलते कौतुहल बना रहा. एमआईएल के वरिष्ठ विमानतल निदेशक विजय मुलेकर ने बताया कि विमान को टच डाउन प्वाइंट से 1000 मीटर तक की दूरी में लैंड करना होता है. तेज हवा या अन्य किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाने के कारण लैंडिंग की प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है.

पहला मौका नहीं

ये पहला मौका नहीं है कि नागपुर के आकाश पर किसी विमान को मंडराते हुए देखा गया है. इसके पूर्व भी यहां विमान मंडराते रहे हैं. हालांकि हाल ही के दिनों में ट्रेनिंग फ्लाइट और टेस्टिंग फ्लाइट मंडराते देखे गए थे. देश में एविएशन के क्षेत्र में ऑल टाइम वेदर होने और एयर इंडिया एमआरओ के चलते नागपुर एयरस्पेस में बीते कुछ समय से टेस्टिंग और ट्रेनिंग फ्लाइट गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं.

एयर एशिया की फ्लाइट में विलंब

मंगलवार की दोपहर एयर एशिया की नागपुर-बेंगलुरु फ्लाइट में विलंब बताया गया. दोपहर 1 बजे की बजाय फ्लाइट 1.45 बजे रवाना हुई. विमानतल सूत्रों की मानें तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कंजेशन (विमानों की अधिक आवाजाही) की वजह से इस फ्लाइट में देरी हुई.

झूलेलाल जयंती पर वरुण देवता का किया पूजन

हजारों श्रद्धालुओं ने लिया महाप्रसाद

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर - उपराजधानी नागपुर की सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी, अवार्ड विजेता पूज्य लकड़गंज सिंधी पंचायत द्वारा रविवार को छामू चौक, राधिका प्रोविजन के सामने भव्य प्रांगण में चेट्रीचंड्र के शुभ पर्व पर वरुण देवता का पूजन किया गया. इस दौरान 5 हजार भक्तों ने भव्य महाप्रसाद का लाभ लिया.

कार्यक्रम संयोजक प्रदीप कुमार पंजवानी, पंचायत के महासचिव महेश ग्वालानी, सहसंयोजक पप्पू बजाज के अनुसार सर्वप्रथम पं. मुरलीधर महाराज द्वारा वरुण देवता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर पूजा अर्चना विधिवत की गई. श्री झूलेलाल भगवान की आरती में वर्तमान अध्यक्ष भागचंद उत्तमचंदानी सहित पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोजवानी, प्रताप मोटवानी, प्रदीप पंजवानी, किशनचंद ग्वालानी, विजय ग्वालानी सहित महासचिव महेश ग्वालानी ने सहभाग लिया. समस्त भूतपूर्व अध्यक्षों का बुके देकर हरीश छाबरानी, घनश्याम मोटवानी, मनोज भोजवानी, अशोक बदलानी, धर्मेंद्र नागवानी, किशन मंगलानी, प्रवीण ग्वालानी, जगदीश चेलानी, रवि तनवानी, रितेश मोटवानी, रवि भारवानी, करन ग्वालानी, मोहन मोहनानी, शंकर बजाज, गिरीश बजाज, अनमोलभाई, प्रणव ओजवानी, राजू किशनानी ने सत्कार किया. पूर्व अध्यक्ष प्रताप ए. मोटवानी ने सभी को चेट्रीचंड्र की बधाई देकर नववर्ष में स्वास्थ्य, धन, कीर्ति और सफलता की कामना कर कहा कि पंचायत द्वारा आयोजित भव्य महाप्रसाद काबिले तारीफ है. प्रति वर्ष इसी तरह भव्यता से आयोजन होना चाहिए. पूर्व अयक्ष कार्यक्रम संयोजक प्रदीप पंजवानी ने समस्त पंचायत की टीम का कार्यक्रम हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए आभार माना. सुरेश भोजवानी, किबानचंद ग्वलानी, विजय ग्वालानी, मुरलीधर महाराज ने विचार प्रकट कर नववर्ष गुढ़ी पाड़वा चेट्रीचंड्र महोत्सव की बधाई दी. कार्यक्रम का संचालन महेश ग्वालानी ने किया. वर्तमान अध्यक्ष भागचंद उत्तमचंदानी ने इस भव्य कार्यक्रम हेतु सदस्यों का आभार माना. कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही. प्रमुखता से राजेश मोटवानी, शरणकुमार सुखीजा, डॉ.छाबरानी, चंदन मोटवानी, कन्हैयालाल मनवानी, प्रताप थारवानी, अशोक ग्वालानी, लधानी, शंकर सुगंध, आशा भोजवानी, नीतू भोजवानी, आशा मोटवानी, संगीता किशनानी, पार्वती ग्वालानी सम्मलित हुए.

आज का इतिहास 22 मार्च

1739 नादिरशाह दिल्ली में घुसा और कत्ले आम का हुक्म जारी किया जो 45 दिन तक चला.
1765 इंग्लैड की संसद ने अमरिकी उपनिवेशकों से राजस्व जुटाने के लिए कानून बनाया.
1793 लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल और बिहार स्थायी बस्तियां बसाए जाने की घोषणा की.
1794 अमेरिकी कांग्रेस ने अपने जहाजों से दासों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया.
1893 चटगांव शस्त्रागार कांड के मास्टर दा उर्फ सूर्यसेन का जन्म.
1917 अमेरिका ने रूस की काम चलाऊ सरकार को मान्यता दी.
1934 होकोडेट, जापान में आग से संपूर्ण शहर नष्ट, 1500 लोगों की मृत्यु 1000 अन्य घायल.
1942 सर स्टैम्पर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारत आया था.
1945 अरब लिग की स्थापना ताहिरा में हुई थी.
1946 ब्रिटेन ने ट्रांस जार्डन को स्वतंत्रता की मान्यता दी.
1947 भारत के अंतिम वायसराय लार्ड लई माउंटबैन भारत आए थे.
1957 एक सवंत पर आधारित राष्ट्रीय कलैंडर लागू किया गया था.
1969 भारतीय पेट्रो रसायन निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था.
1992 सप्लाई पोत 'सिन्धु-16' का जलावतरण.
2005 तमिल के प्रसिद्ध अभिनेता जैमिनी गणेशन का निधन.
2007 पाकिस्तान ने 700 किमी दूरी तक मार वाली नई मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया.

जबलपुर-तिरूनेलवेली के बीच

नागपुर होकर चलेंगी 26 सुपरफास्ट ट्रेनें

यात्रियों को होगी सुविधा

प्रतिनिधि, 21 मार्च

नागपुर - यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ एवं प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुये रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन संख्या 02194/02193 जबलपुर-तिरूनेलवेली-जबलपुर के बीच नागपुर होकर 26 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.

02194 जबलपुर-तिरूनेलवेली सुपरफास्ट ट्रेन जबलपुर से प्रत्येक गुरुवार 5 अप्रैल से 28 जून तक 9.30 बजे चलकर तिरूनेलवेली 4.45 बजे तीसरे दिन शनिवार को पहुंचेगी. इस ट्रेन का नागपुर आगमन 18.20 बजे व प्रस्थान 18.45 बजे, सेवाग्राम आगमन 19.57 बजे व प्रस्थान 19.58, चन्द्रपुर आगमन 21.49 बजे व प्रस्थान 21.50 बजे एवं बल्लारशाह आगमन 22.30 बजे व प्रस्थान 22.40 बजे होगा. 02193 तिरूनेलवेली-जबलपुर सुपरफास्ट ट्रेन तिरूनेलवेली से प्रत्येक शनिवार 7 अप्रैल से 30 जून तक 17.30 बजे से चलकर जबलपुर 11.15 बजे तीसरे दिन सोमवार को पहुंचेगी. इस ट्रेन का दूसरे दिन रविवार को बल्लारशाह आगमन 23.30 बजे व प्रस्थान 23.40 बजे, चन्द्रपुर आगमन 23.56 बजे व प्रस्थान 23.57 बजे, सेवाग्राम आगमन तसरे दिन प्रत्येक सोमवार को 01.35 बजे व प्रस्थान 01.36 बजे एवं नागपुर आगमन 02.45 बजे व प्रस्थान 02.55 बजे होगा.

इस का नरसिंहपुर, गादरवाडा, पिपरिया, इटारसी, जुझारपुर, नागपुर, सेवाग्राम, चन्द्रपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, रामागुण्डम, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, ओंगल, नेल्लोर, गुडूर, रेणीगुन्टा, काटपाडी, जोल्लारपेट्टई, सालेम, रसीपुरम, नमक्कल, करूर, त्रिचिरापल्ली, डिन्डीगुल, मदूराई, विरूधुनगर, सातुर एवं कोविलपट्टी स्टॉपेज है.

पुणे-काजीपेठ-पुणे में दो द्वितीय शयनयान एवं दो तृतीय वातानुकूलित कोच अतिरिक्त

नागपुर - यात्रियों की यात्रा सुविधा को मद्देनजर रखते हुये मध्य रेल नागपुर मंडल से चलने वाली गाड़ी संख्या 22151/22152 पुणे-काजीपेठ-पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी में 23 मार्च से पुणे से एवं 25 मार्च से काजीपेठ से स्थाई तौर पर दो द्वितीय श्रेणी शयनयान एवं दो तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच जोड़ा जायेगा. दो द्वितीय शयनयान एवं दो तृतीय वातानुकूलित अतिरिक्त कोच जोड़े जाने से अब उपरोक्त ट्रेन में कोच की कुल संख्या 16 होगी. सभी यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त गाड़ी में जोड़े जा रहे अतिरिक्त दो द्वितीय शयनयान एवं दो तृतीय वातानुकूलित कोच का अपनी यात्रा हेतु लाभ लें.